	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 18, बुधवार, शाके 1943-मार्च 09, 2022 *Phalguna 18, Wednesday , Saka 1943- March 09, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2022

जी.एस.आर.113 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 द्वारा बनाये गये विनियम जिनका प्रकाशन राजपत्र में जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 हुआ है, समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त विनियमों में:-

(i) उक्त विनियमों के विद्यमान विनियम 7 एवं 10 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"7.किसी भी प्रकार के विवाह संबंधी आयोजन, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनेगा, सामाजिक दूरी, डबल-डोज वैक्सीनेशन, सेनिटाईजशन आदि की पालना उक्त आयोजन के आयोजनकर्ता एवं आयोजन स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर या अधिभोगी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

10.प्रत्येक कार्यालय/कार्यस्थल के संचालक यथा राजकीय, निजी, शैक्षणिक संस्थान, कारखानें, शॉपिग मॉल्स, बैंक, शोरूम, समस्त व्यवसायिक दुकान एवं समस्त व्यवसायिक संगठन के सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से यह घोषणा चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे कि कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की दोनो डोज लगवाई जा चुकी है तथा कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की डोज नही लगवाई गई है।

(ii) उक्त विनियमों में विद्यमान विनियम 8, 9,11 को विलोपित किया जाता है। "

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

मुकेश पारीक,

शासन उप सचिव।

Government Central Press, Jaipur.